

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-1988/पाँच-8-08-59खा0/2002
लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 1998 में चयनित निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को 02 वर्ष की परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से खाद्य निरीक्षक के पद पर एतद्वारा स्थायी किया जाता है:-

क्र.सं०	खाद्य निरीक्षक का नाम	योगदान की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1	श्री जवाहर लाल	19-11-98	19-11-2000
2	श्री रत्नाकर पाण्डेय	21-11-98	21-11-2000
3	श्री राकेश कुमार शुक्ला	20-11-98	20-11-2000
4	श्री स्वामी नाथ	01-12-98	01-12-2000
5	श्री मनोज कुमार तोमर	13-01-99	13-01-2001

2- उक्त स्थायीकरण का खाद्य निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रशान्त त्रिवेदी
सचिव।

संख्या-1988(1)/पाँच-8-08तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ।
 - 2- निदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ।
 - 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
 - 4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
 - 5- सम्बन्धित खाद्य निरीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी।
 - 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Sul
(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।